मो0न0—94310 05038
ईमेल—dpoicdseastchamparan@gmail.com

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी।

(जिला प्रोग्राम शाखा, आई0सी0डी0एस0)

पत्रांक 1305 / दिनांक 08/08/2024/

प्रेषक,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

विषय :— **आँगनबाड़ी—सह—क्रेच वर्कर एवं सहायक क्रेच वर्कर के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।**

प्रसंग :— **निदेशक आई.सी.डी.एस. बिहार, पटना का पत्रांक—1700, दिनांक 06.03.2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि जिला अंतर्गत पालनाघर के संचालन हेतु क्रेच वर्कर एवं सहायक क्रेच वर्कर का विज्ञापन प्रकाशन NIC पूर्वी चम्पारण के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

संचिका संख्या—91—04/23 टिप्पणी संख्या—02 पर जिलाधिकारी महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलंग्नक :— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

08/8/24

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मो0न0–94310 05038
ईमेल–dpoicdseastchamparan1@gmail.com

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी।

(जिला प्रोग्राम शाखा, आई0सी0डी0एस0)

निदेशक, आई.सी.डी.एस. बिहार, पटना के पत्रांक–1700, दिनांक–06.03.2024 द्वारा मिशन शक्ति उपयोजना सामर्थ्य अंतर्गत आँगनबाड़ी–सह–क्रेच संचालन हेतु कंडिका–09 एवं कंडिका–11 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप कर्मियों (श्रमबल) के चयन का निर्देश प्राप्त है।

आँगनबाड़ी–सह–क्रेच संचालन हेतु स्वीकृत श्रमबल का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अध्यक्ष एवं उनके द्वारा नामित पदाधिकारी की गठित समिति द्वारा किया जायेगा। निदेशक, आई.सी.डी.एस. बिहार, पटना के उक्त पत्र में आँगनबाड़ी–सह–क्रेच संचालन हेतु क्रेच वर्कर एवं हेल्पर का एक पद मोतिहारी सदर परियोजना अंतर्गत वार्ड संख्या–34 में सृजित किया गया है।

क्र0सं0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	उम्र	योग्यता/अहर्ताएँ	आरक्षित कोटि	मानदेय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्रेच वर्कर (महिलाओं हेतु आरक्षित)	01	न्यूनतम 18 अधिकतम 35 वर्ष	इन्टरमेडियट उर्त्तीण (12वी)	अनारक्षित	5500/–	
2	सहायक क्रेच वर्कर (महिलाओं हेतु आरक्षित)	01	न्यूनतम 18 अधिकतम 35 वर्ष	मैट्रिक (10वी)		3000/–	

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में मार्गदर्शिका के निहित प्रावधानों के तहत आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा एवं हाथों–हाथ परियोजना कार्यालय मोतिहारी सदर में उपलब्ध कराया जा सकता है।

चयन प्रकिया से संबंधित तिथियों की विवरणी निम्नवत है :–

1. आवेदन लेने की तिथि – दिनांक–09.08.2024 से 17.08.2024 तक।
2. दावा/आपत्ति निराकरण की तिथि – दिनांक–20.08.2024 से 23.08.2024 तक
3. औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशन की तिथि – 24.08.2024 तक।
4. चयन समिति की बैठक – दिनांक– 27.08.2024 से 29.08.2024 तक।
5. अंतिम चयन मेधा सूची का प्रकाशन – 29.08.2024
6. मिशन शक्ति उपयोजना सामर्थ्य अंतर्गत क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर के चयन से संबंधित मार्गदर्शिका NIC East Champaran के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

8/8/24

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

BBBP143

वार्ड सं०-34

(6)

आवेदन –प्रपत्र

विज्ञापन संख्या.......................

1. आवेदित पद का नाम (क्रेच वर्कर/सहायक क्रेच वर्कर)...

अनुलग्नक–4

स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

2. अभ्यर्थी का नाम :...
3. जन्म तिथि :...
4. माता का नाम:...
5. पिता/पति का नाम:...
6. आधार कार्ड नम्बर:...
7. स्थायी अवास का पूरा पता (जिला के नाम कें साथ):...
....
8. पत्राचार का पता:...
9. श्रेणी: सामान्य ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ अति पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य ☐
10. मोबाईल नम्बर:...
11. ई. मेल आईडी:...
12. शैक्षणिक विवरणी :–

क्रमांक	शिक्षा	विषय	उत्तीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
1	मैट्रिक					
2	इंटर					
3	स्नातक (प्रतिष्ठा का विषय)					
4	स्नातकोत्तर					
5	पीएचडी/अन्य					
6	कम्पूटर योग्यता					
7	व्यवसायिक प्रशिक्षण					
8	अन्य					

13. कार्य अनुभव :–

क्रमांक	संस्थान का नाम	पदनाम	कार्य अवधि वर्ष/माह/दिन	कार्य विवरणी

14. संलग्न किये गये कागजातों की सूची :–

1			
3		2	
5		4	
7		6	
9		8	
		10	

घोषणा :– उपरोक्त सभी सूचना मेरे जानकारी के आधार पर सत्य है। यदि भविष्य में कभी कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मै स्वंय जिम्मेवार रहूँगी एवं मेरे विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक:...

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

पालना (क्रेच) अन्तर्गत क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर के चयन से संबंधित मार्गदर्शिका

आँगनबाड़ी सेवाएँ आई.सी.डी.एस. अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित देखभाल हेतु क्रेच (Creche) की स्थापना की जानी है जिसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चों को Day-Care शयन सुविधा के साथ, प्रारम्भिक शिक्षा एवं बौद्धिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास, स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरण, वृद्धि निगरानी तथा पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जायेगा।

पालना (क्रेच) का संचालन आँगनबाड़ी सेवाएँ आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार द्वारा राज्य के 19 जिलों (बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सारण,.सीतामढी सीवान, वैशाली, पश्चिम चम्पारण) के कुल चिन्हित 25 शहरी परियोजनाओं (प्रत्येक परियोजना से दो-दो) में कार्यान्वयन किया जाना है। भविष्य में इसका विस्तार अन्य जिलों में तथा उपरोक्त वर्णित जिलों में भी आवश्यकतानुसार भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात किया जायेगा। क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर के पद पर चयन निम्न हेतु योग्यता एवं शर्ते निर्धारित की जाती है।

1. <u>क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर के लिए उम्र:-</u> भारत सरकार की मिशन शक्ति क्रेच मार्गदर्शिका के अनुसार क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होगी।

2. <u>मानदेय:-</u> क्रेच वर्कर के लिए 5500 प्रतिमाह एवं क्रेच हेल्पर हेतु 3000 प्रतिमाह मानदेय भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में निर्धारित है।

3. <u>शैक्षणिक योग्यता:-</u> क्रेच वर्कर के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

   (i) क्रेच वर्कर/हेल्पर हेतु पदवार समर्पित आवेदनों में सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी का चयन क्रेच वर्कर/हेल्पर पर किया जाएगा।

   (ii) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन क्रेच वर्कर/हेल्पर पद पर किया जायेगा।

   (iii) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षाणिक योग्यता एवं मेधा अंक भी समान रहने पर उनमें अधिक उम्र वाल अभ्यर्थी का चयन क्रेच वर्कर/हेल्पर पद पर किया जायेगा।

   (iv) क्रेच हेल्पर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। उपरोक्त योग्यता की योग्य आवेदिका के नही मिलने पर जिला द्वारा योग्यता संबंधी छूट दी जा सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति

में क्रेच वर्कर के लिए मैट्रिक एवं हेल्पर के लिए आठवी उत्तीर्ण होना आवश्यक । चयन के पश्चात कर्मियों को बच्चों की देखभाल संबंधी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(v) आँगनबाड़ी क्रेच वर्कर/हेल्पर के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होगी। आँगनबाड़ी क्रेच वर्कर/हेल्पर इस योजना के लागू रहने तक कार्य कर सकेंगी, जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जायेंगी।

4. <u>मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता:-</u> आँगनबाड़ी क्रेच वर्कर/हेल्पर चयन हेतु वार्ड का निवासी होना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें संबंधित वार्ड अंकित होना चाहिए।

आँगनबाड़ी क्रेच वर्कर/हेल्पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनाव/नगर निकाय चुनाव के लिए निर्धारित वार्ड की आरक्षित कोटि के अंतर्गत जो महिला अभ्यर्थी आती हो, वही आँगनबाड़ी क्रेच वर्कर/हेल्पर चयन के लिए योग्य होगी।

रिक्त वार्ड की आरक्षित कोटि में योग्य महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर क्रमानुसार अनु0 जनजाति/अनुसूचित जाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) /पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/ सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा।

5. <u>निरर्हता:-</u> ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें किसी न्यायालय से दण्डित किया गया हो अथवा किसी प्रकार के अनियमितता के आरोप में चयनमुक्त कर दिया गया हो, आँगनबाड़ी क्रेच वर्कर/हेल्पर के पद पर चयन के लिए अर्हता धारित नहीं करेंगे।

6. <u>चयन की प्रकिया:-</u> आँगनबाड़ी क्रेच वर्कर/हेल्पर चयन हेतु विज्ञापन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों एवं संबंधित जिला के ऑनलाईन पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। रिक्ति हेतु आवेदन जिला के पोर्टल पर ऑनलाईन लिये जाएँगे। आवेदन के साथ ही स्व-अभिप्रमाणित शैक्षणिक प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र/मैट्रिक अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता जिसमें आवेदिका की जन्म तिथि अंकित हो, आदि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाएँगे।

7. <u>चयन समिति:-</u> **संपूर्ण चयन प्रक्रिया निम्नानुसार जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्धारण निम्न प्रकार होगा:-**

I. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-	अध्यक्ष
II. संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी-	सदस्य सचिव
III. अनूसूचित जाति/जनजाति वर्ग के पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी द्वारा नामित)-	सदस्य
VI. अल्पसंख्यक वर्ग के पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी द्वारा नामित)-	सदस्य
V. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा नामित एक अन्य बाल विकास परियोजना पदाधिकारी-	सदस्य

8. मेधासूची का निर्धारण:- सदस्य सचिव द्वारा प्राप्त आवेदनों एवं आवश्यक कागजातों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी जाँच करते हुए समिति द्वारा मेधा सूची तैयार की जाएगी। तदोपरान्त तैयार औपबंधिक मेधा सूची जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित की जाएँगी।

मेधा सूची प्रकाशन के 15 दिनों तक पोर्टल पर ऑनलाईन आपत्तियाँ प्राप्त की जाएँगी। क्रेच वर्कर/हेल्पर के मेधा सूची का निर्धारण न्यूनतम योग्यता के प्रमाण-पत्र/अंक पत्र में अंकित अंक को जोड़ कर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा। तैयार पैनल की वैधता एक वर्ष की होगी।

(i) कंडिका 6 में वर्णित पाँच सदस्यीय चयन समिति द्वारा आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएँगी। तत्पश्चात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन पोर्टल पर किया जायेगा।

(ii) मेधा सूची के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में पाँच सदस्यीय चयन समिति द्वारा समर्पित मेधा सूची की सर्वोच्च मेधा प्राप्त अभ्यर्थी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त चयन पत्र निर्गत किया जायेगा।

(iii) अंतिम मेधा सूची की मान्यता अवधि चयन की तिथि से 01 वर्ष के लिए होगी।

(iv) चयन पत्र प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर आँगनबाड़ी क्रेच वर्कर/हेल्पर पद पर योगदान नहीं करने की स्थिति में चयन रद्द समझा जाएगा।

9. प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जांच:- मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर चयन समिति द्वारा चयनित वर्कर/हेल्पर के प्रमाण पत्रों की जांच चयन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। मानदेय का भुगतान प्रमाण पत्रों के जांच/सत्यापन के पश्चात ही किया जायेगा। यदि 45 दिनों के अंदर संबंधित निर्गत प्राधिकार से प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी स्वयं आकर अथवा अपने अधीनस्थ किसी कर्मी को भेजकर सत्यापित कराएंगी। मूल प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को चयनमुक्त करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि ऐसे मामलों का सत्यापन निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से हो जाय।

10. शिकायत/अपील:- चयन संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद/शिकायत का निपटारा जिला पदाधिकारी के स्तर पर किया जायेगा।

11. त्याग पत्र:- क्रेच वर्कर/हेल्पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को एक माह की पूर्व सूचना पर अपने पद से लिखित त्याग पत्र दे सकती है, जिस पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अविलंब निर्णय लिया जायेगा। उनके द्वारा निर्णय नही लिये जाने की स्थिति में त्याग पत्र

समर्पित किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के बाद इसे स्वतः प्रभावी मान लिया जायेगा। त्याग पत्र देने वाले क्रेच वर्कर/हेल्पर को पुनः बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा।

12. क्रेच वर्कर/हेल्पर किसी भी प्रयोजन के लिए सरकारी सेवक नहीं मानी जाएगीं तथा भविष्य में सरकारी सेवाओं में समायोजन का उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। ये मानदेय आधारित कार्यकर्ता होगी।

13. <u>कठिनाई का निराकरण एवं निर्वचन:-</u> इस मार्गदर्शिका के किसी कंडिका के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न होने पर उस मामले में निराकरण हेतु प्रशासी विभाग सक्षम होगा एवं उसका विनिश्चय अंतिम होगा।